[2007] 6 S.C.R. 787 : 2007 INSC 587

कोल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य

बनाम

डोमको स्मोक लेस फ्यूल (प्रा0) लि0

मई 15, 2007

(एस.बी. सिन्हा तथा मार्केण्डेय काटजू न्यायमूर्तिगण)

कोयला- कोयला के आपूर्ति के आश्वासन पर धूमहीन ईंधन इकाई स्थापित किया जाना- कोयला अनुबंध-का अन्तरण-इकाई द्वारा मांगा गया- इसका प्रत्याख्यान-चुनौती दी गई- उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरण हेतु निदेश- उच्चतम न्यायालय में अपील - अपीलों के लंबित रहने के दौरान कतिपय पश्चातवर्ती घटनाएं घटित हुई थी- अभिनिर्धारित पश्चावर्ती घटनाओं के दृष्टिगत मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित तथा चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष किये गये अभिवचनों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उद्यमकर्ता ने प्रकथन किया था कि कैसे इसने अनुबंध के अन्तरण के लिए विधिक अधिकार प्राप्त किया था- कोयला नियंत्रण आदेश, 2000-खण्ड 6

प्रत्यर्थी ने नये धूमहीन ईंधन इकाईयों को स्थापित करने के लिए नये उद्यमकर्ता को आमंत्रित करते हुए विज्ञापन द्वारा अपीलार्थी द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर धूमहीन ईंधन के उत्पादन हेतु इकाई स्थापित किया था जिसके लिए इन्हें कोयला के आपूर्ति के लिए आश्वस्त किया गया था। प्रत्यर्थी को कोल इंडिया लि0 (सीआईएल) के समनुषंगी भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल) के कोयला खानों का कोयला अनुबंध दिया गया था। एक बैठक में अनुबंध को तार्किक बनाने के लिए एसएसएफ संयन्त्रों के अनुबन्ध की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था जिससे इकाईयाँ एसएसएफ ग्रेड कोयला वाले निकटतम उपयुक्त स्रोतों से अपनी आपूर्ति प्राप्त कर सकेगी।

बैठक में निर्णय के आधार पर, प्रत्यर्थी ने बीसीसीएल से सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 (सीसीएल) प्रत्यर्थी ने अपने अनुबंध के अन्तरण हेतु आवेदन किया था। इसका खण्डन इसके नीति के दृष्टिगत किया गया था कि एक बार इसे दिया जाता है, यह प्रकृति में स्थायी होगा। फिर भी, मात्रा के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुबंध का अस्थायी अन्तरण प्रत्यर्थी तथा एक अन्य कंपनी को दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका में अस्थायी अन्तरण के आदेश पर आपत्ति की गयी थी। रिट याचिका के लंबित रहते, सीआईएल ने अन्य कंपनी के पक्ष में अनुबंध के स्थायी परिवर्तन को मंजूर किया था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद प्रत्यर्थी को नही कि सीसीएल ने एक ही पत्र द्वारा दोनों इकाईयों को "अनापत्ति" प्रमाण पत्र दिया था। रिट याचिका

को अपीलार्थी को बीसीसीएल से सीसीएल कोयला के अनुबंध के अन्तरण का निदेश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया था। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत है।

अपीलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी के इकाई का निरीक्षण किया गया था तथा इसके रिपोर्ट को दाखिल किया गया था। इस बीच ई-नीलामी पर कोयला बेचने के लिए कोल इंडिया लि0 के बदले हुए नीतिगत निर्णय के मुकाबले में अनुबंध के प्रश्न पर विचार इस न्यायालय द्वारा किया गया था।

अपीलों को अनुज्ञात करते हुए तथा मामला उच्च न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. जबकि उद्यमकर्ता की हकदारी कोल इण्डिया लि0 के नीतिगत निर्णय तथा कोयल नियंत्रण आदेश 2000 के धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अपने शक्ति के प्रयोग में समय-समय पर जारी निर्देशों पर चलना चाहिए, इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा अपने रिट याचिका में आवश्यक प्रकथनों को करना आवश्यक था कि कैसे इसने अनुबंध के अन्तरण के संबंध में विधिक अधिकार प्राप्त किया था। पक्षकारों का अभिवचन इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। कतिपय पश्चातवर्ती घटनाएं भी घटित हुई है। भले ही प्रत्यर्थी इसके लिए अनुरोध किये गये अनुतोषों का हकदार बन जाता है, इस निमित्त अवसर अपीलार्थी को भी दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के समक्ष भेदभाव के प्रश्नों को उठाया है जिसकी भी जांच किया जाना आवश्यक है। प्रश्नों में एक प्रश्न जो इस प्रकार विचारार्थ पैदा होगा यह होगा कि क्या वचन-बिवंध के सिद्वान्त को ध्यान में रखते हुए सीआईएल का नीतिगत निर्णय पूर्ववर्ती नीतिगत निर्णय द्वारा आच्छादित होगा। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आलोक में कई अन्य कारकों को अभिलेख पर लाया गया है। विशेष रूप से पक्षकारों के अभिवचनों के अभाव में इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्न की जांच करना संभव नहीं है। (पैरा 20 तथा 21) (798-ए.बी.सी.डी.)

2. इसलिए न्यायहित सहायक होगा यदि उच्च न्यायालय को नये सिरे से मामले पर विचार करने का निदेश दिया जाता है। पक्षकारगण रिट कार्यवाही में अतिरिक्त शपथपत्रों को दाखिल करने के हकदार होंगे। प्रत्यर्थी पश्चातवर्ती घटनाओं के दृष्टिगत अपने रिट याचिका का संशोधन कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति में, उच्च न्यायालय ने केवल रिट याचिका में किये गये मूल अनुरोध बल्कि अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में मामले पर विचार करेगा जिसे निरीक्षण समिति

के रिपोर्ट सहित पश्चातवर्ती घटनाओं के दृष्टिगत प्रत्यर्थी को उपलब्ध पाया जा सकता है। (पैरा 22) (798ई एफ)

सिविल अपीलीय अधिकारिता, सिविल अपील सं0 816 वर्ष 2001

एल.पी.राव सं0 415/1999(आर) में पटना उच्च न्यायालय रांची पीठ, रांची के निर्णय तथा आदेश दिनांक 14.10.1999 से

के साथ

सिविल अपील सं0 817/2001 एवं अवमान याचिका (सिविल) सं0 547-448/2002

पक्षकारों के लिए उपस्थित होते हुए विकास सिंह, एएसजी, पी.पी. राव, वरि0 अधि0, अनिप सचथे, मोहित पाल, अरिजित प्रसाद, कृष्ण महाजन, आर.एस. राणा, वी.के. वर्मा, राणा मुखर्जी, एस. चन्द्रशेखर, अमित कुमार, कृष्णानंद पाण्डेय।

न्यायालय का निर्णय **एस.बी. सिन्हा न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया।

1. ये अपीले प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका को अनुज्ञात करते हुए उक्त न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित रिट याचिका में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए एलपीए सं0 415 वर्ष 1999 आर में पारित खण्डपीठ के आदेश 1410-1999 तथा आदेश दिनांक 09.08.1999, आदेश दिनांक सितम्बर 1999, आदेश दिनांक 23.09.1999, झारखण्ड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति के आदेश दिनांक 09.07.1999 के विरूद्ध निदेशित है। मामले का मूलभूत तथ्य विवादित नहीं है। इसमें प्रत्यर्थी ने धूमहीन ईधन के उत्पादन हेतु इकाई स्थापित किया है। उक्त उद्योग को नये धूमहीन ईंधन इकाई को स्थापित करने के लिए नये उद्यमकर्ता को आमंत्रित करते हुए विज्ञापन द्वारा इसमें अपीलार्थी द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर अभिकथित रूप से प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित किया गया था जिसके लिए इन्हें कोयले के आपूर्ति के लिए आश्वस्त किया गया था, जो निम्न आशय के संबंध में है।

''धुआं को ''नॉ'' कहो''

क्या आप जानते हैं? आपके चूल्हा से निकलने वाला धुंआ गंभीर वायु प्रदूषण पैदा कर रहा है जो इस बात को खतरे मे डाल रहा है जिसे आपका संतान सांस लेता है।

विशेष धूमहीन ईंधन (एसएसएफ)

धूमी साफ्ट कोक तथा जलाऊ लकड़ी के लिए आर्थिक अनुकल्प लगातार ऊष्मा पैदा करता है इस प्रकार ईंधन खपत का पूरा लाभ उठाता है। इसका एक समान आकार भी

सुविधजनक भण्डारण को सुनिश्चित करता है। एसएसएफ का उपयेग जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ को व्यापक पैमाने पर काटने तथा वर्तमान वन कटाई को कम करेगा। कोल इंडिया जो अब पर्यावरणीय प्रदूषण को कम से कम करने तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के मिशन पर है, नये एसएसएफ इकाईयों को स्थापित करने तथा वर्तमान इकाईयों का प्रसार करने के लिए उद्यमकर्ताओं को आमंत्रित करता है। 8 एसएसएफ इकाईयाँ पहले से प्रवाह पर है। सीआईएल ने पहले ही 80 इकाईयों के लिए अनुबंधों को मंजूरी दिया है। सीआईएल जल्दी ही 25 और इकाईयों के लिए अनुबंधों को अतिम रूप देगा।

सीआईएल नये उद्यमकर्ताओं के लिए एसएसएफ इकाईयों तथा कोयला अनुबंधों के विस्तार हेतु अतिरिक्त कोयला जरूरतों को मुहैया करायेगा। राज्य प्रयोजित प्राधिकरणों के द्वारा हमें लिखें।

आगे के विवरण हेतु संपर्क करें : सीएमपीडीआईएल, राची/तकनीकी प्रकोष्ठ, कोल इंडिया लि0 10, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001, टेलीफोन : 206312, 207817

वेस्टर्न कोल फील्ड लि0 भारत कोकिंग कोल लि0

सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 ईस्टर्न कोल फील्ड लि0

साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि0 नार्थ ईस्टर्न कोल फील्ड

2. प्रत्यर्थी ने बिहार राज्य में औरंगाबाद जिला में स्थित अपने औद्योगिक इकाई में कोयले के आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए अनुबंध सुविधा दिये जाने के लिए आवेदन किया था। इसे कोल इंडिया लि0 की समनुषंगी भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल) के कोयला खानों के साथ कोयला अनुबंध दिया गया था।

3. 17-11-1993 को एक बैठक में कोल इंडिया लि0, विकिको के समनुषंगी के अधिकारियों तथा मूल्यांकन उत्पादन संघ के सचिव ने भाग लिया था, यह तय किया गया था।

(क) कोयला अनुबंध का स्रोत-

यह तय किया गया कि एसएसएफ संयंत्र के अनुबंध की समीक्षा सीआईएल द्वारा एसएसएफ उत्पादन के लिए उपयुक्त कोयला के वर्तमान उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा तथा अनुबंध के सुव्यवस्थीकरण पर विचार संभव सीमा तक किया जायेगा जिससे इकाईयां एसएसएफ ग्रेड कोयला वाले निकटतम उपयुक्त स्रोतों से अपनी आपूर्तियाँ प्राप्त कर सके।

इस संबंध में विकिको बिहार में नये एसएसएफ इकाईयों को कोयला के अनुबंध हेतु अपना सुझाव देते हुए सीआईएल को विवरण प्रस्तुत करेगा।''

4. प्रत्यर्थी ने यह बताते हुए उपरोक्त बैठक दिनांक 17.11.1993 में किये गये उक्त निर्णय के अनुसार बीसीसीएल से सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 (सीसीएल) को अपने अनुबंध के अन्तरण हेतु आवेदन किया था कि कारखाना का निर्माण इस निमित्त कोल इंडिया लि0 द्वारा दिये गये आश्वासनों के आधार पर आगे बढ़ाया गया था। यद्यपि, कुछ उद्योग जो अभिकथित रूप से समान रूप से स्थित ने को अपीलार्थी द्वारा बीसीसीएल से सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 को अपने अनुबंध के अन्तरण का लाभ दिया गया था, प्रत्यर्थी का अनुरोध इस आशय के अनुबंध के संबंध में तात्पर्यित नीतिगत निर्णय को निर्दिष्ट सीसीएल कोल इंडिया लि0 द्वारा दिये गये बदलाव के संबंध में ''अनापत्ति'' के बावजूद स्वीकार नहीं किया गया था कि एक बार इसे दिया जाता है यह प्रकृति में स्थायी होगा। फिर भी, मात्रा के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुबंध का अस्थायी अंतरण प्रत्यर्थी तथा मेसर्स पुष्पांजलि कोल एण्ड कोक दोनों को दिया गया था।

5. फिर भी, कोल इंडिया लि0 ने 9-10-1999 को निदेश जारी किया था कि प्रत्यर्थी को बीसीसीएल से तीन माह के लिए अपने आपूर्ति का 50 प्रतिशत तथा सीसीएल से 50 प्रतिशत दिया जायेगा। उक्त निर्णय के वैधता पर आपत्ति यह अनुरोध करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया था कि अपीलार्थी को बीसीसीएल के सीसीएल को अनुबंध के बदलाव के मंजूरी द्वारा कोयला का पूरा कोटा जारी करने का निदेश दिया जाय। फिर भी, रिट याचिका के लंबित रहते सीसीएल ने इस तथ्य के बावजूद मेसर्स पुष्पांजलि कोल एण्ड कोक के पक्ष में अनुबंध के स्थायी बदलाव की मंजूरी दिया था लेकिन प्रत्यर्थी को नहीं कि सीसीएल ने एक ही पत्र दिनांक 17.07.1998 को दोनों इकाईयों को अनापत्ति दिया था।

6. उक्त रिट याचिका को अन्य बातों के साथ यह निदेश देते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा अनुज्ञात किया गया था।

> ''अब प्रत्यर्थी सीआईएल प्रतिशपथपत्र में इस मामले के साथ प्रकट हुआ था कि 03-09-1998 को सम्पन्न अपने बैठक में सीआईएल के अधिकारियों ने नीतिगत निर्णय लिया था कि अनुबंध एक बार अनुदत्त किया जाता है, को सीआईएल के एक समनुषंगी से एक दूसरे समनुपंगी को अन्तरित नही किया जा सकता है।

9. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों तथा एतस्मिन् उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों के परिशीलन के वाद, यह स्पष्ट है कि सीआईएल द्वारा याची के अनुरोध का स्वीकार न किया जाना मनमाना है तथा युक्तियुक्त नही विशेष रूप से जब याची के अनुरोध को स्वीकार न करने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिया गया है, इसके अलावा, जब मेसर्स पुष्पांजलि कोल एण्ड कोक प्रा0लि0 के मामले पर विचार किया गया था तथा इसका अनुबंध बीसीसीएल से सीसीएल को अंतरित किया गया था। प्रतिशपथपत्र में कहीं भी प्रत्यर्थी, सीआईएल ने इस कठिनाई का खण्डन नही किया है कि याची इकाई नुकसान का सामना कर रहा है तथा सामना करना होगा जो याची इकाई को बीसीसीएल से कोयला प्राप्त करने में होगा जो उस स्थानसे काफी दूर है जहाँ संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार तथा विकिको से सिफारिश पर विचार करने के बाद तथा सीसीएल से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्यर्थीगण द्वारा याची के अनुरोध की उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है। यह सुस्थापित है कि जब उद्योगों को स्थापित किया जाता है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार तथा इसके परिकरणों को कच्चे माल के आपूर्ति या विभिन्न प्रोत्साहनों को देने के मामले में औद्योगिक नीतियाँ बनाते समय तथा नीतिगत निर्णयों को लेते समय उद्देश्य इकाई को प्रोत्साहित करने का होना चाहिए।''

7. यह निदेश दिया गया :

''11 मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं एतस्मिन् उपरोक्त किये गये विवेचनाओं को ध्यान से रखते हुए, ऊपर किये गये संप्रेक्षण तथा निदेश के आलोक में इस रिट आवेदन को प्रत्यर्थी-सीआईएल के अधिकारी को याची के मामले में उदार तथा सकारात्मक निर्णय लेने के निदेश के साथ निपटाया जाता है। इस प्रकार का निर्णय इस आदेश के प्रति को प्रस्तुत करने/ प्राप्त करने की तिथि से दो सप्ताह के अवधि के अन्दर लिया जाना चाहिए।

8. स्पष्टीकरण हेतु आवेदन प्रत्यर्थी द्वारा अन्य बातों के साथ सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 के कोयला खानों से अपीलार्थी को अपने इकाई के कोयला के आपूर्ति हेतु सकारात्मक निदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में या रिट जारी करने हेतु अनुरोध करते हुए दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन का निपटारा यह संप्रेक्षित करते हुए आदेश दिनांक 09.08.1999 द्वारा किया गया था।

"मेरी राय में, याची द्वारा दाखिल आवेदन भ्रामक है क्योंकि आदेश में पर्याप्त संकेत है कि प्रत्यर्थी इस तथ्य के आलोक में सकारात्मक निर्णय लेगा कि समान परिस्थितियों में मेसर्स पुष्पांजलि कोल एण्ड कोक प्रा0लि0 द्वारा किये गये अनुबंध के अन्तरण हेतु अनुरोध को अनुज्ञात किया गया है। निर्णय के पैरा 5 से यह भी स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सीआईएल द्वारा याची के अनुरोध का स्वीकार न किया जाना मनमाना है तथा युक्तियुक्त नही है।

याची के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रत्यर्थीगण का निदेश देने वाले आदेश में पर्याप्त संकेत के दृष्टिगत, मेरी राय है कि इस आदेश में आगे स्पष्टीकरण आवश्यक नही है। श्री सिन्हा का निवेदन है कि यदि आदेश को स्पष्ट नहीं किया जाता है, प्रत्यर्थीगण सीआईएल याची के पक्ष में निर्णय नही ले सकते हैं, इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस न्यायलय ने वस्तुतः आदेश दिनांक 09.07.99 में प्रत्यर्थीगण को अनुबंध अन्तरित करने का निदेश दिया था जैसा याची द्वारा अनुरोध किया गया है।

इस आवेदन को तदनुसार, पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ निपटाया जाता है।"

9. इस प्रकार प्रत्यर्थी के आवेदन को नामंजूर किया गया था। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे भी यह विचार व्यक्त करते हुए नामंजूर किया गया था।

"सम्पूर्ण तथ्यों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध अनुदत्त करने के लिए कई अन्य तर्क है जिसे प्रकाश में लाया जा सकता है यदि सीआईएल से सम्पूर्ण दस्तावेज मांगा जाता है। लेकिन, इस प्रक्रम पर, मैं मामले की जांच नही करना चाहता हूँ। यह कहना पर्याप्त है कि श्री एस0एम0 शर्मा को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे किसी अन्य मामले में यदि कुछ भी इस न्यायालय के जानकारी में लाया जाता है, तब इसे परेशानी में न डाला जाय।

पर्याप्त विलक्षण है कि निदेशक उद्योग बिहार सरकार ने विक्रय प्रबंधक, सीआईएल को संबोधित अपने पत्र दिनांक 20.08.99 द्वारा सूचित किया था कि कतिपय फर्मो को अनुदत्त अस्थायी पंजीकरण को रद्द किया गया है लेकिन इसके बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपने आदेश दिनांक 25.08.99 द्वारा सीसीएल से उन फर्मों को अनुबंध

अनुदत्त किया है, जिसके प्रति को प्रत्युत्तर के उपाबंध 1/ए के रूप में संलग्न किया गया है।

यह भी आश्चर्यजनक है कि प्रत्यर्थीगण ने नकारात्मक निर्णय लिया है तथा इसके द्वारा मात्र इस आधार पर इस न्यायालय के निदेश का अनुपालन करने से इंकार किया है कि कई अन्य उपभोक्तागण इस प्रकार के अनुतोष हेतु आयेंगे। मेरी राय में यह इस न्यायालय द्वारा पारित निदेश तथा आदेश के अवज्ञा करने का आधार नही हो सकता है।

फिर भी, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित होते हुए श्री मुखर्जी द्वारा लिये गये पूर्णतया निष्पक्ष आधार के दृष्टिगत कि प्रत्यर्थीगण निर्णय दिनांक 09.07.99 तथा पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 09.08.99 के आलोक में याची के मामले पर पुनर्विचार करेगे तथा सकारात्मक निर्णय लेंगें, मै वर्तमान आवेदन तथा इसके प्रयुत्तर को यह संप्रेक्षित करते हुए निपटा रहा हूँ कि प्रत्यर्थीगण को इस आदेश के प्रति को प्राप्त करने की तिथि से दस दिनो के अन्दर इस न्यायालय के आदेश तथा निदेश का अनुपालन करना चाहिए।

10. लेटर्स पेटेन्ट अपील अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया था जिसे आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.10.1999 के आधार पर सरसरी तौर पर खारिज किया गया है। चूकि विद्वान एकल न्यायमूर्ति के मूल आदेश दिनांक 09.07.1999 के विरूद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल नही किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन आवेदन सीधे न्यायालय में दाखिल किया गया है जिसे वि0अनु0या0 (सी) सं0 17145/2000 के रूप में अंकित किया गया है।

11. इस न्यायालय के खण्डपीठ ने आक्षेपित निर्णय के प्रवर्तन को रोकते हुए अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14.02.2000 के अनुसार प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने का निदेश दिया था।

12. न्यायालय के समक्ष समय समय पर प्रत्यर्थी द्वारा शिकायतो को उठाया गया था कि अपीलार्थी अपने इकाईयों को कोयले की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति नही कर रहा था तत्पश्चात् विभिन्न आदेशों को पारित किया गया है जिस पर हमे इस प्रक्रम पर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नही है। फिर भी यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि कुछ अवमानना याचिकाओ को भी दाखिल किया गया था। इस न्यायालय के एक दूसरे खण्डपीठ ने आदेश दिनांक 29.01.2004 द्वारा संप्रेक्षित किया था :

"हमने कुछ समय तक पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। कुछ विवेचना के पश्चात, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इसे अनुदेशो तथा दोनो बिन्दुओ पर प्रस्ताव करने हेतु युक्तियुक्त समय अनुज्ञात किया जा सकता है :

(i) कोयला के आपूर्ति के बकाया को पूरा करना तथा

(ii) भविष्य के लिए अनुबंध के संबंध मे नीति को तर्कसंगत बनाना।

इस संबंध में कथन 24 फरवरी 2004 को या पहले विरोधी अधिवक्ता को प्रति के अन्तर्गत शपथ पत्र पर किया जाय।

जवाब, यदि कोई है तथा यदि लिखित दाखिल करना आवश्यक है 16 मार्च 2004 को या पहले किया जा सकता है।

उपरोक्त उक्त कथन तथा जवाब को दोनो पक्षकारो के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना माना जायेगा। 21 मार्च 2004 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाय।

13. जब मामला 17.08.2006 को इस न्यायालय के एक दूसरे पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु आया था, यह निदेशित किया गया था :

" इसमे प्रत्यर्थी (गण) इस तिथि से चार सप्ताह के अन्दर कोयले के मूल्यों, यदि कोई है मे अंतर के संबंध मे बैंक गारंटी तथा प्रतिभूति देगे जिसकी आपूर्ति पहले ही इन्हे कोल इंडिया लि0 द्वारा मेसर्स अशोका स्मोकलेस कोल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (एसएलपी (सी) सं0 20471/2005) मे इस न्यायालय के निदेशो के अनुसार किया गया था। अपीलार्थी वास्तव मे केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रो तथा दिशा निदेशो, यदि कोई हैं तथा उपलब्धता के अधीन अपने अधिकारिता मे स्थित किसी कोयला खानो से प्रत्यर्थी के कारखाना को कोयले के आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 को आवश्यक निदेश जारी करेगा। मात्र उस दशा मे, जब सीसीएल के लिए कोयले की आपूर्ति करना संभव न हो, कोयले के आपूर्ति का प्रस्ताव बीसीसीएल के कोयला खानो से किया जा सकता है।

इस मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी राय है कि भारत संघ को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता श्री सचथे द्वारा किये गये मौखिक अनुरोध पर, भारत संघ को कोयला मंत्रालय द्वारा पक्षकार बनाया गया है। श्री सचथे ने हमे आश्वस्त किया है कि इस मामले के पेपर बुक की प्रति केन्द्रीय अभिकरण को सौपा जायेगा।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रति शपथ पत्र तिथि से चार सप्ताह के अन्दर दाखिल किया जा सकता है। उल्लेख करने की स्वतंत्रता, यदि इसके लिए कोई अवसर पैदा होता है।

हम यह भी निदेश देते है कि कोल इंडिया लि0 का अधिकारी प्रत्यर्थी के कारखाना मे जायेगा जिससे कोयले के वास्तविक वर्तमान जरूरत का मूल्यांकन किया जा सके तत्पश्चात सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 के किसी कोयला खानो से इसकी आपूर्ति करने मे कठिनाइयो, यदि कोई है, पर विचार विमर्श बैठक मे किया जा सकता है जिसे भारत कोकिंग कोल लि0, सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 के अधिकारी (अधिकारियो) तथा प्रत्यर्थी (गण) के प्रतिनिधि के साथ कोल इंडिया लि0 द्वारा बुलाया जा सकता है।

10 अक्टूबर 2006 को प्रस्तुत किया जाय।

सुनवाई के अगली तिथि को कोल इंडिया लि0 का अधिकारी मामले मे पूरे अनुदेशो के साथ तथा प्रत्यर्थी का प्रतिनिधि न्यायालय मे उपस्थित रहेगे।

14. उक्त आदेश के अनुसरण मे, प्रत्यर्थी के इकाई का निरीक्षण किया गया था तथा 18.10.2006 को कोल इंडिया लि0 के महाप्रबन्धक द्वारा अभिपुष्ट शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है।

15. प्रत्यर्थी ने उक्त रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति दाखिल किया था। इसमे अपीलार्थी द्वारा इसका प्रत्युत्तर भी दाखिल किया गया है। इस बीच, ई-नीलामी पर कोयला बेचने के लिए कोल इंडिया लि0 के बदले नीतिगत निर्णय के मुकाबले मे अनुबंध के प्रश्न पर विचार इस न्यायालय के पीठ द्वारा मेसर्स अशोक स्मोकलेस कोल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (2006) 13 स्केल 102 मे किया गया था जिसमे अन्य बातो के साथ यह संप्रेक्षित किया गया था :

"190. कोयला जो दुर्लभ पदार्थ है, प्रयोजन हेतु इसकी उपयोगिता जिसके लिए यह आवश्यक है तात्विक है। यद्यपि तकनीकी रूप से इस तथ्य के दृष्टिगत कि कोयला हेतु कोई कीमत निर्धारित नही है, शब्दो के तकनीकी अभिप्राय मे कोई कालाबाजारी नही हो सकता है, लेकिन यह न्यायालय सामान्य अभिप्राय मे कालाबाजारी को प्रोत्साहित नही कर सकता है। दुर्लभ पदार्थ का क्रय विक्रय करते समय किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ लेने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। असली तथ्य कि केन्द्र सरकार के सर्वोत्तम प्रयासो के बावजूद, कोयला कंपनियाँ कुछ लोगो के खतरो को कम करने मे तथा पूर्णतया या आंशिक कोयला के आवंटन को प्राप्त करने के अपने स्थिति का दुरूपयोग करने वाले जुड़े

उपभोक्ताओ या इससे अन्य सामान्य लोगो को अपवर्जित करते हुए कोयले के व्यापार मे असफल था, यह पूर्णतया आवश्यक है कि बचाव के रास्ते का मुँह बन्द करने के लिए किसी प्रणाली का पता लगाया जाना चाहिए। भारत संघ या कोयला कंपनियाँ राज्य सरकारो मे विश्वास खोती प्रतीत होती है। इसने संयुक्त निरीक्षण किया था तथा इस प्रक्रिया मे इन्हे औद्योगिक इकाईयाँ जिसके लिए अनुबंध प्रणाली अभिप्रेत है के दावो के यथार्थता के बारे में समाधान पर पहुँचना चाहिए था।

"191. हमारे समक्ष अधिकांश उपभोक्तागण ने कोयला के आपूर्ति को प्राप्त करने के विचार से अपने यर्थातता को साबित करने के लिए दस्तावेजो को दाखिल किया था। उक्त दस्तावेजो की छानबीन कोयला कंपनीयो के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। उस दशा मे, जब इन्हे आशंका हो, संबंधित कंपनी जिसके अधिकारिता मे इकाई स्थित है के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए।

"192. एक व्यवहार्य नीति विकसित करने के विचार से, भारत संघ द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमे कोयला सचिव अध्यक्ष होगा। इस प्रकार के समिति मे कोयला मे तकनीकी विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योकि अधिकांश परियोजनाओ मे कोयला विशेष रूप से कठोर कोल तथा धूमहीन ईधन के उत्पादन के उपभोक्तागण शामिल है। हमारी राय मे, बकाया तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ के साथ उत्पादन के मुकाबले मे निवेश के अनुपात के संबंध में इसमें प्रयुक्त तकनीकों को ध्यान में रखते हुए पता लगाना कठित नही हो सकता है। पाँच वर्षो के शर्तो के अलावा एक मात्र इस प्रकार के निष्कर्ष के आधार पर आपूर्ति को एमपीक्यू का आधार बनाया जाना चाहिए। फिर भी हम जल्दी से जोड़ सकते है कि केन्द्र सरकार कोयला कंपनीयो के साथ सहयेग करके उस नीति को विकसित करने मे स्वतंत्र होगी। ये कंपनीयाँ इस प्रकार के सन्नियमो को अधिकथित करने की हकदार होगी जैसा उपयुक्त तथा उचित पाया जाय। ये कंपनीयाँ इसके लिए समुचित सन्नियमो का निर्धारण करने की हकदार होगी। उस दशा में जब किसी औद्योगिक इकाई को सन्नियमो का उल्लंघन करता पाया जाता है, कड़ाई से निपटा जाना चाहिए।

16. भारत संघ की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अपर सालीसिटर जनरल द्वारा यह कहा गया है कि उक्त निदेश के अनुसरण मे एक समिति का गठन किया गया है तथा यह

अपेक्षित है कि रिपोर्ट को कुछ सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी हमारे लिए मामले के एक पहलू पर विचार करना आवश्यक नही है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अनिप सचथे ने अन्य बातों के साथ निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने बीसीसीएल से सीसीएल को कोयले के अनुबंध का अन्तरण करने का निदेश अपीलार्थी को देते हुए परमादेश रिट जारी करने मे स्पष्ट त्रुटि किया था। समिति के रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए, यह निवेदन किया गया है कि सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 द्वारा सामना किये जा रहे कोयले के कमी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निदेश स्वयं अनुबंध प्रणाली का हल निकालने मे भारी कठिनारियाँ पैदा करेगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि तथ्य पर भी, प्रत्यर्थी का मामला अच्छा होना नही कहा जा सकता है क्योंकि बाहर से, सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 तथा भारत कोकिंग कोल लि0 के कोयला खानो की दूरी लगभग समान है।

17. दूसरी तरफ प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होत हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी0पी0 राव ने निवेदन किया है :

(i) सीसीएल द्वारा अनुदत्त 'अनापत्ति' के दृष्टिगत, अब अपीलार्थी के लिए यह सुझाव देना अनुज्ञेय नही है कि सेन्ट्रल कोल फील्ड लि0 से कोयले की आपूर्ति इसे भारी कठिनाई कारित करेगा।

(ii) कोल इंडिया लि0 द्वारा 1987 के अपने विज्ञापन मे किये गये स्पष्ट अभ्यावेदन तथा 17.11.1993 को सम्पन्न बैठक के विवरणो को ध्यान में रखते हुए इसके अनुसरण मे तथा इसको अग्रसर करने मे, अपीलार्थी ने धूमहीन ईधन के अपने उद्योग को स्थापित करते हुए भारी धनराशि का निवेश करते हुए अपनी स्थिति को बदला था, वर्तमान मामले में वचन विबंध का सिद्धान्त लागू होगा।

(iii) कोयले के आपूर्ति अर्थात् बीसीसीएल से 50 प्रतिशत तथा सीएलएल से 50 प्रतिशत के अनुदत्त किये जाने के मामले मे सीआईएल द्वारा लिये गये अंनतिम निर्णय के आलोक मे, उच्च न्यायालय को अत्यधिक कठिनाई जिसे प्रत्यर्थी द्वारा किया जा रहा है तथा इससे संबंद्ध आर्थिक परेशानी को ध्यान मे रखते हुए अपीलार्थी को मामले मे अंतिम निर्णय लेने का निदेश देने मे अपने अधिकारिता का अतिक्रमण किया नही कहा जा सकता है।

(iv) अपीलार्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तरगत राज्य होने के नाते अपने अधिकारिता का प्रयोग युक्तियुक्त तरीके से करने के कर्तव्य से आदिष्ट है।

(v) जब अपने विवेकाधिकार अधिकारिता के प्रयोग के मामले मे त्रुटि को सही करने के लिए राज्य को अवसर दिया गया था, उच्च न्यायालय दिये गये मामलो में परमादेश रिट भी जारी कर सकता है।

18. मेसर्स अशोका स्मोक लेस (ऊपर) मे इस न्यायालय ने विस्तार पूर्वक ई-नीलामी पर कोयले का विक्रय करने के लिए कोल इंडिया लि0 के बदले नीतिगत निर्णय के मुकाबले मे अनुबंध स्कीम के वैधता या अन्यथा की विवेचना किया है। उक्त निर्णय पर पहुँचते समय, इस न्यायालय ने इस प्रकृति के मामले को वचन विवंध के सिद्धान्तो के प्रयोज्यता सहित मामले के विभिन्न पहलूओ को भी ध्यान मे रखा है।

19. फिर भी, प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकृति के मामले मे तथा विशेष रूप से पश्चातवर्ती सामग्रियों को ध्यान मे रखते हुए जिसे अभिलेख पर लाया गया है, प्रत्यर्थी स्वयं द्वारा अनुरोध किये गये अनुतोष का हकदार है या नही।

20. हमने एवास्मिन् पूर्व समय-समय पर विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेशो का उल्लेख किया हैं। जबकि उद्यमकर्ता की हकदारी को कोल इंडिया लि0 के नीतिगत निर्णय तथा कोयला नियंत्रण आदेश 2000 के खण्ड 6 के अन्तर्गत अपने शक्ति के प्रयोग मे समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेशो पर चलना चाहिए, इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा अपने रिट याचिका मे आवश्यक प्रकथनो को करना आवश्यक था कि कैसे इसने अनुबंध के अन्तरण के संबंध मे विधिक अधिकार प्राप्त किया था। पक्षकारो का अभिवचन हमारे समक्ष नही है। हमने एतस्मिन् पूर्व उल्लेख किया हैं कि कतिपय पश्चातवर्ती घटनाएँ भी घटित हुई है। भले ही प्रत्यर्थी इसमे अनुरोध किये गये अनुतोषो का हकदार है, इस निमित्त अवसर अपीलार्थी को भी दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी ने हमारे समक्ष भेदभाव के प्रश्नो को उठाया है जिसकी भी जाँच किया जाना आवश्यक है। प्रश्नो मे एक प्रश्न जो इस प्रकार विचारार्थ पैदा होता है यह होगा कि क्या वचन विवंध के सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए सीआईएल या नीतिगत निर्णय पूर्ववर्ती नीतिगत निर्णय द्वारा आच्छादित होगा।

21. कई अन्य कारको को जैसा एतस्मिन्पूर्व उल्लिखित है इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आलोक मे अभिलेख पर लाया गया है। हमारे लिए उक्त प्रश्न की जाँच करना संभव नही है विशेष रूप से इस तथ्य के दृष्टिगत कि पक्षकारो का अभिवचन

हमारे समक्ष नही है।

22. इसलिए, मेरी राय है कि न्यायहित उपयोगी होगा यदि उचच न्यायालय को नये सिरे से मामले पर विचार करने का निदेश दिया जाता है। पक्षकारगण रिट कार्यवाही मे अतिरिक्त शपथ पत्रो को दाखिल करने के हकदार होगे। प्रत्यर्थी पश्चातवर्ती घटनाओ के दृष्टिगत अपने रिट याचिका का संशोधन कर सकते है। इस प्रकार की स्थिति मे, उच्च न्यायालय न केवल रिट याचिका मे किये गये मूल अनुरोध बल्कि अनुतोष के परिप्रेक्ष्य मे मामले पर विचार करेगा जिसे निरीक्षण समिति के रिपोर्ट सहित पश्चातवर्ती घटनाओ के दृष्टिगत प्रत्यर्थी को प्राप्त पाया जा सकता है। जब तक उच्च न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित नही किया जाता है, कोयले के आपूर्ति के संबंध मे यथापूर्व स्थिति जैसा आज है जारी रहेगा। चूकि मामले को उच्च न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जा रहा है, हम अवमानना याचिका मे कोई पृथक आदेश पारित करना नही चाहते है। इसलिए अपीलो का अनुज्ञात किया जाता है तथा मामले को नये सिरे से मामले के विचारार्थ आक्षेपित निर्णय अपास्त करने के पश्चात उच्च न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। फिर भी, इस मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो मे, खर्चो के संबंध में कोई आदेश नही होगा।

अपील अनुज्ञात।

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)

This is certify that these are true and correct HIndi translated copies of judgement of PDF files available in eSCR. If any discrepancy is found at later stage. I shall be soely responsible for it.